भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4910

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण दरें

†4910. **श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत स्कूलों में लड़कियों की वर्तमान नामांकन और प्रतिधारण दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष रूप से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए लागू की गई विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कोई छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता कार्यक्रम उपलब्ध है और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उक्त वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है;

(घ) समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं की शिक्षा का समर्थन करने में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान कौन-कौन से हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बालिकाओं की उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक अवसंरचना, जैसे अलग शौचालय, स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों में लड़कियों के वर्तमान नामांकन और प्रतिधारण दरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में है। इसके अतिरिक्त, सभी शैक्षणिक संरचनाओं

में जेंडर समानता सूचकांक 1.0 से ऊपर है और लड़कियों के लिए ड्रॉपआउट दर लड़कों की तुलना में कम है।

समग्र शिक्षा के तहत, लड़कियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लक्षित किया गया है, जिसमें लड़कियों के लिए पहुंच आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, आठवीं कक्षा तक लड़कियों के लिए नि:शुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकें, सरकारी स्कूलों की छठी से बारहवीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों को वर्ष में 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह का वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित जेंडर-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 5.50 लाख सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों को वजीफा प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त, नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविरों, जेंडर संवेदीकरण मॉड्यूल आदि को बढ़ावा देकर लड़कियों के लिए पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इक्विटी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु विशेष राज्य विशिष्ट परियोजनाओं पर भी बल दिया गया है। ऐसी परियोजनाओं में जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, भस्मक, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन आदि शामिल हैं। समग्र शिक्षा के तहत, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का प्रावधान है। यूडाईज+ 2024-25 के अनुसार, 97.1% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।

स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य से संबंधित लड़कियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय स्कूल हैं। कक्षा 6 के लिए केजीबीवी में प्रवेश के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लड़कियों के नामांकन के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय स्थापित करने, पीएम-जनमन के तहत छात्रावासों के निर्माण, असंतृप्त अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रतिधारण दर में सुधार के लिए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास सुविधाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 समुदाय और माता-पिता की भागीदारी पर बल देती है ताकि बच्चे को उचित रूप से सीखने और अधिगम परिणामों की उपलब्धि में मदद मिल सके। समग्र शिक्षा के तहत, गुणवत्ता और नवाचार कार्यक्रमों के तहत सामुदायिक भागीदारी का प्रावधान है। समुदाय की मदद से, प्रति वर्ष शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में नामांकन अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि स्कूल से बाहर या ड्रॉपआउट लड़कियों की पहचान की जा सके और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाया जा सके। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में वित्तीय बाधाओं को कम करने में मदद करने के लिए समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रावधानों के बारे में माता-पिता को सूचित किया जाता है।

अनुलग्नक

स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण दरें के संबंध में माननीय सांसद श्री थरानिवेंथन एम. एस. द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4910 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कियों का नामांकन (सभी प्रबंधन) स्कूल (2024-25)				लड़कियों की प्रतिधारण दर (सभी प्रबंधन) - 2024-25			
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	प्राथमिक	प्रारंभिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11333	8153	5493	5381	100.0	91.2	88.3	82.5
2	आंध्र प्रदेश	1577070	1084320	657086	536012	100.0	100.0	97.6	64.3
3	अरुणाचल प्रदेश	68780	38560	22562	13846	56.9	53.6	34.8	20.7
4	असम	1579996	902564	563519	305056	80.2	74.4	57.4	30.4
5	बिहार	4990195	2863510	1435008	1055921	90.9	77.8	37.8	26.9
6	चंडीगढ़	37529	29640	18857	19240	100.0	100.0	100.0	100.0
7	छत्तीसगढ़	1199042	732078	425717	315689	93.7	90.5	67.6	54.7
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	28357	17517	10368	7683	100.0	95.4	83.0	62.4
9	दिल्ली	795028	558822	337745	296984	100.0	100.0	87.9	90.2
10	गोवा	55203	35137	22040	19635	100.0	92.9	85.6	80.3
11	गुजरात	2148938	1494554	777536	530767	100.0	90.4	69.3	44.8
12	हरियाणा	1038381	691203	405140	338854	100.0	97.8	97.1	67.5
13	हिमाचल प्रदेश	231618	157862	107449	93657	100.0	95.2	91.1	84.6
14	जम्मू और कश्मीर	502369	272394	163376	119331	79.8	75.1	55.6	39.7
15	झारखंड	1606432	942127	570880	391784	90.6	80.8	55.3	37.2
16	कर्नाटक	2460515	1508254	1002153	682353	100.0	94.9	89.2	57.8
17	केरल	1082658	723388	482379	446809	97.9	99.5	99.9	92.9
18	लद्दाख	10806	5800	4046	2856	77.6	71.9	75.6	53.3
19	लक्षद्वीप	2530	1443	895	591	92.6	100.0	100.0	100.0
20	मध्य प्रदेश	3045523	1905758	1030466	695912	89.8	81.0	56.0	34.5
21	महाराष्ट्र	4385494	2579685	1684658	1337055	100.0	92.5	86.1	68.2
22	मणिपुर	143521	70259	43762	32536	67.3	61.6	53.0	32.0
23	मेघालय	244178	115793	62675	30409	57.4	44.4	32.7	18.2
24	मिज़ोरम	56570	29512	19973	12836	56.7	54.0	42.9	29.1
25	नागालैंड	78619	43387	27884	19513	70.7	50.8	48.5	31.9
26	ओडिशा	1584653	1026516	618138	472075	100.0	92.5	76.3	56.0
27	पुडुचेरी	40420	27494	18848	17897	93.8	97.0	92.5	87.2
28	पंजाब	1003521	599694	382354	340172	100.0	94.1	80.6	71.4
29	राजस्थान	3182406	1992018	1153110	923047	84.9	79.6	56.9	53.5
30	सिक्किम	19593	12415	8689	7295	87.3	79.6	75.8	62.7
31	तमिलनाडु	2214357	1485163	985466	921941	95.7	96.1	90.7	80.2
32	तेलंगाना	1466391	906616	563682	414250	100.0	95.6	79.1	57.6
33	त्रिपुरा	139552	88433	51744	40889	100.0	87.4	71.3	53.4
34	उत्तर प्रदेश	9142434	5423757	2693442	2392311	86.9	70.7	48.4	42.7
35	उत्तराखंड	448659	272960	172673	159351	98.8	84.3	73.5	69.9
36	पश्चिम बंगाल	3458745	2175120	1527041	859488	86.9	89.8	77.5	56.2
	भारत	**50081416**	**30821906**	**18056854**	**13859426**	**93.4**	**84.2**	**64.2**	**49.6**

(स्रोत: यूडाईज+ 2024-25)